



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

Misc.Pett No-10 / 2023-24

सरकार

बनाम्

राजीव रंजन भगत एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 20/2/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डब्लू0पी0(क्रि0) संख्या-395/2022(राजीव रंजन भगत बनाम् झारखण्ड सरकार वगै0) में दिनांक-18.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा निम्न न्यायालय के दिनांक-22.07.2022 के पारित आदेश को निरस्त करते हुए मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी एवं आदेश पारित करने के लिए निदेश दिया गया है। उक्त पारित आदेश के आलोक में संबंधित पक्ष राजीव रंजन भगत एवं अन्य को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही उक्त मामले से संबंधित जाँच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा से मांग की गई है।

विज्ञ सरकार की वकील एवं उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

विपक्षी राजीव रंजन भगत के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, राँची के डब्लू0पी0(क्रि0) संख्या-395/2022 (राजीव रंजन भगत बनाम् झारखण्ड सरकार वगै0) से संबंधित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के दिनांक-22.07.2022 के आदेश को निरस्त किया गया तथा उपायुक्त, गोड्डा को साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है। उनका आगे कथन है कि मौजा-महागामा नं0-700, जमाबंदी नं0-200, दाग नं0-28 एवं 28/1235 जमाबंदी रैयत द्वारका प्रसाद ढनढनियाँ के नाम से पर्चा में दर्ज है। प्रश्नगत जमाबंदी जमीन विपक्षी को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा मुख्तारनामा के आधार पर प्राप्त हुआ है। उनका आगे कथन है कि कैलाश टिवड़ेवाल बाहरी व्यक्ति हैं एवं जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी नहीं हैं तथा पर्चा में भी उनका नाम दर्ज नहीं है। उनका आगे कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय, राँची के समक्ष उपर्युक्त मामले के संबंध में डब्लू0पी0(क्रि0) संख्या-176/2017 में विपक्षी के पक्ष में निर्णय लिया गया है। उनका आगे कथन है कि कैलाश टिवड़ेवाल के नाम से कोई भी वैध कागजात दाखिल नहीं किया गया है एवं न ही उक्त जमीन पर उनका दखल है। किराया निर्धारण वाद संख्या-252/60-61 में कैलाश कुमार

टिबड़ेवाल ने कहा है कि जमीन किराया मुक्त है, लेकिन क्रिमिनल मिस0 केश संख्या-91/17 में अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा द्वारा जाँच कराया गया, तो पाया गया कि अभिलेखागार के पत्र संख्या-950 दिनांक-04.07.2017 में बताया गया कि यह दावा पूर्णतः फर्जी है और जब उक्त के संबंध में नीरज कुमार जायसवाल द्वारा अभिलेखागार से पूछताछ कर अभिप्रमाणित प्रति की मांग की गई। प्रभारी पदाधिकारी, अभिलेखागार द्वारा उक्त कागजात को देने से मना कर दिया एवं उनके द्वारा बताया गया कि संबंधित दस्तावेज अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कार्यालय के कर्मी ने विपक्षी के साथ धोखाधड़ी किया। उनके आगे कथन है कि किराया निर्धारण वाद संख्या-190/60-61 एवं किराया निर्धारण वाद संख्या-252/60-61 में अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा अभिलेखागार से अभिप्रमाणित प्रति की मांग की गई है, परन्तु उक्त से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिससे स्पष्ट होता है कि कैलाश कुमार टिबड़ेवाल द्वारा धोखाधड़ी किया गया है और यदि उनके द्वारा जो भी कागजात दाखिल किया गया है तो पूरी तरह से झूठा एवं मनगढ़ंत है। पंजी-2 में उनके द्वारा धोखाधड़ी कर नाम दर्ज कराया गया है। उनका आगे कथन है कि पंजी-2 में दो पन्ने हैं जिसमें एक में किराया निर्धारण वाद संख्या-252/60-61 पुरुषोत्तम दास एवं दूसरे पन्ने में किराया निर्धारण वाद संख्या-252/61-62 में कई व्यक्तियों का नाम दर्ज है तथा दोनों वाद का कागजात उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा कारण-पृच्छा को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी अनिल कुमार टेकरीवाल एवं अन्य दो के विज्ञा अधिवक्ता का कथन है कि राजीव रंजन भगत, कैलाश टिबड़ेवाल, निरंजन प्रसाद सिंह, रामनारायण सिंह, उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा कर बेच रहे हैं तथा मना करने पर खुन खराबा की धमकी देते हैं। अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा ने सभी विपक्षी को नोटिस देकर कारण-पृच्छा की मांग की गई। इसके साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा ने अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा। उनका आगे कथन है कि अंचलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के पश्चात् कागजात दाखिल करने हेतु निदेश दिया गया एवं स्थलीय जाँच के दौरान कार्य को रोकने का मौखिक आदेश दिया गया। प्रक्रिया के बीच में राजीव रंजन भगत ने गलत तथ्यों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में डब्लू0पी0(क्रि0) संख्या-395/2022 वाद दायर किया, जिसका निष्पादन करने हेतु उपायुक्त, गोड़गा को भेजा गया। उनका आगे कथन है मौजा-महागामा नं0-700, जमाबंदी नं0-200 की जमीन गत गेंजर सेटलमेंट पर्चा में 1.बाबु द्वारिका प्रसाद ढनढनिया, 2.बाबु वंशीधुर ढनढनिया, 3. बाबु केदार नाथ ढनढनिया, 4. बाबु मोहन राम ढनढनिया, 5. बाबु ज्वाला प्रसाद ढनढनिया, 6. बाबु छोटेलाल ढनढनिया, 7.बाबु हीरा प्रसाद

ढनढानिया, 8.बाबु पुरणमल मारवाड़ी, 9.बाबु ठाकुर प्रसाद मारवाड़ी, 10.बाबु खेमराज मारवाड़ी, 11.बाबु हरि प्रसाद मारवाड़ी एवं 12.बाबु चमन मारवाड़ी के नाम से इजमाल दर्ज है एवं पर्चा के दखल कैफियत में भी इजमाल है। उनका आगे कथन है कि रमन कुमार टेकरीवाल जमाबंदी रैयत चमन राम मारवाड़ी के पोता हैं। जबकि राजेश कुमार टेकरीवाल जमाबंदी रैयत पूरणमल मारवाड़ी के पोता हैं। जमाबंदी रैयत ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी भी माध्यम से उक्त जमीन के किसी भी अंश हस्तांतरण नहीं किया है। राजीव रंजन भगत एवं कैलाश टिबड़ेवाल जाली कागजात के आधार पर जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। राजीव रंजन भगत सरकारी शिक्षक हैं, जो महागामा अंचल के कमरगामा उत्तक्रमित मध्य विद्यालय में पदस्थापित है। राजीव रंजन भगत द्वारा जमीन से संबंधित जाली कागजात बनाया गया है। जिस कारण उनके विरुद्ध महागामा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजस्व विभाग का नियम है कि जमाबंदी को खंडित किया जा सकता है, परन्तु नया जमाबंदी का सृजन नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा मौजा नं०-700, जमाबंदी नं०-200 के दाग नं०-28 रकवा-05-12-19 धुर एवं दाग नं०-28/1235 की 07-19-01 धुर की जमीन अंचल कार्यालय से मापी करा कर घेरने हेतु प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

इसी न्यायालय में चल रहे आर०एम०ए० नं०-11-23/24 (कैलाश कुमार टिबड़ेवाल बनाम राजीव रंजन भगत) जो प्रश्नगत भूमि से ही संबंधित है, में अपीलकर्ता कैलाश कुमार टिबड़ेवाल के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वर्ष 1936 में पूर्व जमींदार बाबू द्वारिका प्र० ढांढनिया ने पुरुषोत्तम मारवाड़ी, पे०-रामवतार राम मारवाड़ी एवं अन्य को हुकुमनामा के आधार पर जमीन दिया गया था। जमीन पर कब्जा प्राप्त होने के उपरांत जमींदार द्वारा रसीद भी जारी कर दिया गया था। उनका आगे कथन है कि उपर्युक्त जमीन कामत किस्म का था। इसलिए जमींदार को एक बार भूमि को हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त था। उनका आगे कथन है कि पुरुषोत्तम दास फौत कर गये, तत्पश्चात उनके वंशज को रकवा 01-11-00 धुर जमीन हिस्सा में प्राप्त हुआ। आवेदक के पिता श्यामलाल टिबड़ेवाल को 03-00-00 धुर जमीन हिस्से में मिला, जो इस वाद की जमीन है। काबीज लगान वाद सं०-252/60-61 के द्वारा पुरुषोत्तम दास को रैयत के रूप में मान्यता दी गई तथा रजिस्टर-2 में भी उनका नाम दर्ज किया गया एवं पुरुषोत्तम दास के फौत करने के बाद उनके वंशज, उस जमीन पर हकदार हुए, जिसमें आवेदक भी है। रजिस्टर-2 में वंशजों का नाम दर्ज हुआ तथा आवेदक द्वारा अबतक उक्त जमीन का लगान रसीद कटाया जा रहा है। आवेदक एवं अन्य हिस्सेदार का नाम तसदीक पर्चा में दर्ज किया जा चुका

है। उनका आगे कथन है कि वाद सं०-94/71-72 से सिंचाई प्रमंडल द्वारा 57डी० जमीन अर्जित किया गया था तथा उक्त जमीन का मुआवजा भी आवेदक के पिता को प्राप्त हुआ था। वर्ष 1936 से आजतक हुकुमनामा के निष्पादन के उपरान्त उपर्युक्त जमीन का कब्जा आवेदक के हिस्से में है। कब्जा से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य जैसे कि हुकुमनामा, लगान रसीद, पटवन रसीद, काबीज लगान, सुन्दर जलाशय योजना से प्राप्त मुआवजा एवं तसदीक पर्चा तथा जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट किया जा सकता है। वर्ष 2011 में एक पावर ऑफ अटॉर्नी निगम ढाढ़निया, नवनीत ढाढ़निया और संजय ढाढ़निया के द्वारा निष्पादित की गई थी, जो खुद बाबू द्वारिका प्रसाद ढाढ़निया के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, लेकिन उनका दावा गलत है, वे उत्तराधिकारी नहीं हैं। बल्कि बहुत सारे अन्य लोग भी उक्त जमीन पर दावा कर रहे हैं, जो अज्ञात है। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर राजीव रंजन भगत द्वारा जमीन पर दावा किया जा रहा है, जो कि वैध दस्तावेज नहीं है। पूर्व जमींदार ने अपनी जमीन को राज्य सरकार को सौंप दिया। राज्य सरकार ने हुकुमनामा को सही मानते हुए पुरुषोत्तम दास एवं उनके वंशज को रैयत माना तथा रजिस्टर-2 में उनके वंशज का नाम दर्ज किया। आवेदक के अन्य हिस्सेदार उपर्युक्त जमीन पर कार्य करा रहे थे, तभी विपक्षी के द्वारा अनुमंडल दण्डाधिकारी के समक्ष वाद दायर किया गया, जो खारिज किया जा चुका है। विपक्षी ने बेंजनाथ ब्रह्म एवं अन्य असमाजिक तत्वों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। तत्पश्चात् विवाद होने पर उक्त जमीन पर धारा-144 द०प्र०स० की प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा प्रारंभ किया गया एवं उक्त धारा-144 की प्रक्रिया को धारा-145 द०प्र०स० की प्रक्रिया में परिवर्तित किया। कार्यपालक दण्डाधिकारी, महागामा ने उक्त वाद को स्वत्व का मामला बताकर समाप्त कर दिया। कार्यपालक दण्डाधिकारी ने आदेश में अंकित किया कि मामला स्वत्व से संबंधित है तथा स्वत्व का निर्धारण उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। कार्यपालक दण्डाधिकारी, महागामा ने अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन किये बिना वाद को समाप्त किया, जो नियम संगत नहीं है, मामला वास्तविक में दखल का था। उनके द्वारा यथास्थिति को लागू कर तार्किक आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख है कि क्रि०मिस० केश नं०-139/22-23 एवं राजस्व विविध वाद संख्या-06/23 को संबद्ध कर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा द्वारा आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में कैलाश कुमार टिबड़ेवाल द्वारा हुकुमनामा के आधार पर जमीन पर दावा किया जा रहा है एवं राजीव रंजन भगत द्वारा मुख्तारनामा के आधार

पर दावा किया गया है, जबकि दोनों पक्ष उक्त जमाबंदी जमीन के वैध वंशज नहीं हैं। आगे प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत जमीन के दावा के संबंध में अपना अधिकार स्थापित करने में विफल रहे हैं। स्वामित्व का निर्धारण उनके न्यायालय क्षेत्र से बाहर है और उसे केवल सक्षम न्यायालय द्वारा ही निष्पादित किया जा सकता है, संबंध में आदेश पारित किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-महागामा नं०-700, जमाबंदी नं०-200, दाग नं०-28 एवं 28/1235 की जमीन नाम रैयत मालिकान वा सकुनात में कामत मालिकान कहकर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। राजीव रंजन भगत ने पावर ऑफ अटोर्नी के आधार पर उक्त जमीन पर दावा किया गया है। उक्त पावर ऑफ अटोर्नी को सुक्ष्म रूप से अवलोकन किया गया, जिसे स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन से संबंधित पावर ऑफ अटोर्नी में खाता संख्या, प्लॉट संख्या, भूमि की चौहद्दी, रकबा आदि महत्वपूर्ण भूमि का विवरण अंकित नहीं है। इससे विपक्षी राजीव रंजन भगत का पावर ऑफ अटोर्नी के आधार पर दावा संदेहास्पद तो प्रतीत होता ही है साथ ही उक्त आधार पर उनके दावा को स्वीकार करना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है।

विपक्षी अनिल कुमार टेकरीवाल, राजेश कुमार टेकरीवाल एवं राजेन्द्र कुमार टेकरीवाल के द्वारा प्रश्नगत जमीन पर जमाबंदी रैयत के वंशज के आधार पर दावा किया गया है। उक्त जमीन से संबंधित नाम रैयत में कामत मालिकान पर्चा में दर्ज है। साथ ही अनिल कुमार टेकरीवाल एवं अन्य दो द्वारा अपने दावा के समर्थन में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि उनके उत्तराधिकारी होने की पुष्टि हो सके। इस प्रकार उनलोगों का दावा भी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

विपक्षी कैलाश कुमार टिबड़ेवाल द्वारा प्रश्नगत भूमि पर हुकुमनामा के आधार पर दावा किया गया है। यद्यपि कि उनके द्वारा वर्ष 1936 के आधार पर दावा किया गया है। लेकिन उनके द्वारा हुकुमनामा से संबंधित रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति दाखिल नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा अपने आवेदन में स्वयं स्वीकार किया गया है कि उक्त जमीन पर राजीव रंजन भगत के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन पर कैलाश कुमार टिबड़ेवाल का दखल नहीं है। अतएव हुकुमनामा के आधार पर कैलाश कुमार टिबड़ेवाल का दावा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी पक्ष के द्वारा प्रश्नगत जमीन से संबंधित कोई भी वैध कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिससे उनके दावे को कानूनन स्वीकार किया

जा सके। निम्न न्यायालय के द्वारा भी यह पाया है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित किसी भी पक्ष के द्वारा जमीन का मालिकाना हक से संबंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबतक किसी भी सक्षम न्यायालय से स्वत्व से संबंधित आदेश पारित नहीं हो जाता है, तब तक प्रश्नगत जमीन को किसी भी पक्ष के लिए निर्णय देना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है एवं चूँकि प्रश्नगत जमीन किस्म रैयत कामत मालिकान की जमीन है। अतएव बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 में निहित प्रावधानों के तहत प्रश्नगत जमीन को सरकार में निहित करने का आदेश दिया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत जमीन पर पूर्व में लगाए गए यथास्थिति के आदेश को वापस लिया जाता है तथा अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि को अपने अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त आदेश इस न्यायालय के आर0एम0ए0 नं0-11/23-24 (कैलाश कुमार टिबड़ेवाल बनाम् राजीव रंजन भगत) में भी लागू होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा
20/07/21

उपायुक्त
गोड्डा
20/07/21